

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग।

का.आ.सं-भवन/बजट-46-विविध (वित्त विभाग)-30/2019-20 80


दिनांक-.....6/3/2020

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-6980 दिनांक-14.09.18 एवं ज्ञापांक-7148 दिनांक-20.09.18 के आलोक में ए.सी./डी.सी. विपत्रों की समीक्षा एवं सतत समायोजन हेतु श्री मनीष कुमार, विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2 नोडल पदाधिकारी के अधीनस्थ गठित कोषांग के द्वारा विभिन्न विभागों के लम्बित ए०सी०/डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


  
(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-6/3/2020

ज्ञापांक- 2117 (ग)


प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राजपत्रित एवं अराजपत्रित स्थापना/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-6/3/2020

ज्ञापांक- 2117 (ग)

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
SK